भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1904

(06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रत्येक गांव को जोड़ने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण

1904. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत देश के हर छोटे गांव को बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(ग) अभी तक देश में उक्त योजना के तहत बनाई जा रही कितनी सड़कें अधूरी पड़ी हैं और उन गांवों की संख्या कितनी हैं जिनमें सड़कें अभी बनायी जानी हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक-□ थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोर नेटवर्क में सड़क संपर्क से न जुड़ी निर्धारित जनसंख्या □ कार (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+और उत्तरपूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरूस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250+) वाली पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़कों से जोड़ते हुए ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी विशेष उपाय के रूप में दिसम्बर, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) प्रारंभ की थी। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा की गई पहचान के अनुसार) में 100 व्यक्तियों तथा इससे अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाली बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। पीएमजीएसवाई की इकाई राजस्व गांव या पंचायत न होते

हुए बसावट होती है। 250+ और उससे अधिक जनसंख्या कार वाली सभी पात्र और व्यवहार्य बसावटों को मार्च, 2019 तक बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए लक्षित किया गया था। दिनांक 04 मार्च, 2020 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए निर्धारित की गई निर्धारित जनसंख्या कार वाली जोड़ी न गई कुल 1,78,184 पात्र बसावटों में से 1,68,078 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है जिसमें राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से जोड़ी गई 16,086 बसावटें शामिल हैं। 4300 बसावटों को छोड़ दिया गया है या उन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया है। राज्यों ने वन स्वीकृति न मिलने, लंबित भूमि विवादों और न्यायालय संबंध मामलों दि के कारण शेष 5806 स्वीकृत बसावटों में से 2158 बसावटों को जोड़ने वाला सड़क कार्य रूका हु बताया है। शेष 3648 बसावटों के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी मौजूदा कार्यकलापों/घटकों के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित और निर्माणाधीन सड़क कार्यों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 06.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1904 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए सड़क कार्यों की संख्या	सड़क कार्यों की संख्या जो प्रगति पर हैं
1	अं□मान और निकोबार द्वीप समूह	70	0	70
2	□ ंध्र प्रदेश	4,925	4,517	408
3	अरुणाचल प्रदेश	1,391	895	496
4	असम	8,724	6,619	2,105
5	बिहार	18,129	16,423	1,706
6	छत्तीसगढ़	8,659	7,111	1,548
7	गोवा	90	70	20
8	गुजरात	4,526	4,519	7
9	हरियाणा	514	514	0
10	हिमाचल प्रदेश	3,605	2,590	1,015
11	जम्मू और कश्मीर *	3,403	1,870	1,533
12	झारखं□	7,604	6,391	1,213
13	कर्नाटक	4,036	3,591	445
14	केरल	1,532	1,438	94
15	मध्य प्रदेश	19,444	18,856	588
16	महाराष्ट्र	6,070	5,865	205
17	मणिपुर	1,914	1,461	453
18	मेघालय	1,178	595	583
19	मिजोरम	351	212	139
20	नागालैं□	356	297	59
21	ओ□िशा	16,598	14,624	1,974
22	पंजाब	1,173	1,171	2
23	राजस्थान	17,451	17,184	267
24	सिक्किम	995	782	213
25	तमिलना□	8,837	8,080	757
26	तेलंगाना	3,098	2,928	170
27	त्रिपुरा	1,412	1,256	156
28	उत्तर प्रदेश	18,566	18,441	125
29	उत्तराखं□	2,284	1,247	1,037
30	पश्चिम बंगाल	7,325	6,170	1,155
	कुल	174,260	155,717	18,543

* जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित